

FP/UPL TRANS/1462SS/2021

भाग 4

( नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के :

लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफरिशें।

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक :

की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुन्स्पष्ट समीक्षा की जाए और

विवेचात्मक टिप्पणी दी जाए)।

EF. 31521 की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती हैं।

तिथि :— 31/6/22

स्थान:—

हस्ताक्षर:—

Anupam Gupta

Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980

नाम:— U.P. Lucknow

संरक्षकी मोहर:—